



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216]
No. 216]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 2005/फाल्गुन 11, 1926
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 2005/PHALGUNA 11, 1926

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2005

का.आ. 277(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार—(कार्य-आबंटन) (दो सौ उनासीवां संशोधन) नियम, 2005 है ।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे ।
2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,—
(1) प्रथम अनुसूची में, “15. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय” शीर्षक और उनसे संबंधित उपशीर्षकों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक और उपशीर्षक रखे जाएंगे, अर्थात्:—
“स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
(ii) आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग”;
(2) द्वितीय अनुसूची में,
(i) “संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय” शीर्षक के अंतर्गत, “ग. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग” उपशीर्षक के अधीन प्रविष्टि 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“6. देश में सेमी-कंडक्टर डिवाइसिस के संवर्धन और विनिर्माण संबंधी मामले, जिनके अंतर्गत सेमीकंडक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड (एस.सी.एल) मोहाली से संबंधित सभी मामले शामिल नहीं हैं; अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 37)।”;

(ii) “स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय” शीर्षक तथा उनसे संबंधित उपशीर्षकों और प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक, उपशीर्षक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

क. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

I. संघ कारबार

1. अनुसंधान के लिए या औषध और पोषण में जिसके अंतर्गत निम्नलिखित से संबंधित मामले भी हैं विशेष अध्ययन के संवर्धन के लिए संघ अभिकरण और संस्थान :

- (क) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान;
- (ख) अखिल भारतीय सफाई और लोक स्वास्थ्य संस्थान;
- (ग) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान;
- (घ) केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला;
- (ङ) राजकुमारी अमृतकौर नर्सिंग महाविद्यालय;
- (च) लेडी रीडिंग स्वास्थ्य विद्यालय;
- (छ) केन्द्रीय मनोविकार-विज्ञान संस्थान;
- (ज) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और नर्सिंग होम;
- (झ) सफदरजंग अस्पताल;
- (ञ) आयुर्विज्ञान भण्डार संगठन;
- (ट) बी०सी०जी० टीका प्रयोगशाला;
- (ठ) जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान;
- (ड) श्रीमती सुचेता कृपलानी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल और कलावती सरण बच्चों का अस्पताल;
- (ढ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी०जी०एच०एस०);
- (ण) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा;
- (त) सीरम विज्ञानी और रसायन परीक्षक, भारत सरकार ।

2. निम्नलिखित संस्थाओं से संबंधित सभी मामले-
 - (क) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला ।
 - (ख) केन्द्रीय खाद्य और मानकीकरण प्रयोगशाला ।
 - (ग) केन्द्रीय भारतीय भेषज-संग्रहण प्रयोगशाला ।
 - (घ) अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान ।
 - (ङ) राष्ट्रीय क्षय-रोग संस्थान ।
 - (च) केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान ।
 - (छ) प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र, रायपुर (छत्तीसगढ़), असका (उड़ीसा), गौरीपुर (पश्चिम बंगाल), टिटुलमारी (बिहार) ।
 - (ज) पत्तन करन्तीन (समुद्र और वायु) नाविक और समुद्रीय अस्पताल और पत्तन करन्तीन से संबंधित अस्पताल ।
 - (झ) पत्तन और विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन ।
 - (ञ) नाविकों की चिकित्सा परीक्षा ।
 - (ट) अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम ।
 - (ठ) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ।
3. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) और उसके अधीन स्थापित केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला ।
4. चिकित्सा-विज्ञान और सहबद्ध विषयों में विदेश में उच्चतर प्रशिक्षण ।
5. चिकित्सा और उससे संबंधित क्षेत्रों में भारत और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की बाबत कार्य का समन्वय ।
6. निम्नलिखित से संबंधित स्वास्थ्य कार्यक्रम-
 - (क) स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता ।

(ख) अंधेपन के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम ।

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम ।

(घ) राष्ट्रीय क्षय-रोग नियंत्रण कार्यक्रम ।

4/-

(ङ) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ।

(च) संचारी रोगों के नियंत्रण और उन्मूलन से संबंधित सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम ।

(छ) संचारी रोगों के नियंत्रण और उन्मूलन संबंधी द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम ।

7. अधिसदस्यता - विभिन्न चिकित्साविज्ञान और स्वास्थ्य संबंधी विषयों में भारत और विदेश में प्रशिक्षण के लिए ।

8. महामारी से संबंधित मामले : औषधियों के प्रदाय, कुपोषण के प्रभाव और प्राकृतिक विपत्तियों के परिणामस्वरूप पेयजल की कमी से होने वाले विभिन्न रोगों से संबंधित समस्याएं ।

II. संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत विधायी और कार्यपालक प्रयोजनों के लिए कारबार की सूची ।

9. लोक स्वास्थ्य अस्पताल और औषधालय ।

10. विभाग में व्यवहार में आने वाले विषयों से संबंधित वैज्ञानिक सोसाइटी और संगम ।

11. विभाग में व्यवहार में आने वाले विषयों से संबंधित पूर्त और धार्मिक विन्यास ।

III. कारबार की सूची, जिसमें केन्द्रीय सरकार केवल संघ के लिए विधायी हैसियत में और सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधायी और कार्यपालक हैसियत दोनों में, व्यवहार करे ।

12. निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले-

(क) चिकित्सा वृत्ति और चिकित्सा शिक्षा ।

(ख) नर्सिंग वृत्ति और नर्सिंग शिक्षा ।

- (ग) भेषजज्ञ और भेषज शिक्षा ।
- (घ) दंत वृत्ति और दंत शिक्षा ।
- (ङ) मानसिक स्वास्थ्य ।
- (च) औषधि मानक ।
- (छ) औषधि और औषध से संबंधित विज्ञापन ।
- (ज) एक राज्य से दूसरे राज्य में मनुष्यों को प्रभावित करने वाले संक्रामक या सान्सर्गिक रोगों को फैलने से रोकना ।
- (झ) खाद्य पदार्थ और औषधि अपमिश्रण निवारण ।

IV. प्रकीर्ण कारबार

13. निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले-

- (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ।
- (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् ।
- (ग) भारतीय दंत परिषद् ।
- (घ) भारतीय नर्सिंग परिषद् ।
- (ङ) भारतीय भेषजी परिषद् ।
- (च) भारतीय भेषज समिति ।

14. केन्द्रीय सरकारी सेवकों के लिए चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिए रियायत, उनसे भिन्न जो (i) रेल सेवा में है, (ii) जिन्हें रक्षा सेवा प्राक्कलन से संदाय किया जाता है, (iii) ऐसे अधिकारी जो अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1954 द्वारा शासित है, और (iv) ऐसे अधिकारी जो चिकित्सा परिचर्या नियम, 1956 द्वारा शासित है ।

15. केन्द्रीय सिविल सेवाओं के लिए चिकित्सा परीक्षा और चिकित्सा बोर्ड (रेल विभाग द्वारा नियंत्रित व्यक्तियों और, सिविलियन सेवाओं के सिवाय, जिन्हें रक्षा सेवा प्राक्कलन से संदाय किया जाता है, से भिन्न)।

16. निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले—

- (क) वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट (दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन) को अनुदान ।
- (ख) भारतीय रेडक्रास सोसाइटी को अनुदान ।
- (ग) स्पास और स्वास्थ्य विभाग स्थल ।
- (घ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ।
- (ङ) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ।
- (च) चितरंजन राष्ट्रीय कैसर अनुसंधान केन्द्र ।
- (छ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ।
- (ज) चिकित्सा और जैव-चिकित्सा अनुसंधान ।
- (झ) अखिल भारतीय वाकशक्ति और श्रवणशक्ति संस्थान ।
- (ञ) भारतीय पेस्चयुर संस्थान ।
- (ट) भौतिक चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र, किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल ।
- (ठ) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान ।
- (ड) हॉस्पिटल सर्विसेज कन्सलटेन्सी कारपोरेशन लिमिटेड ।

V- परिवार कल्याण संबंधी मामले

17. परिवार कल्याण के लिए नीति और संगठन ।

18. निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले—

- (क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ।
- (ख) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ।
- (ग) जनन और शिशु स्वास्थ्य ।
19. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार अंतर-क्षेत्रीय समन्वय ।
20. जनसंख्या स्थिरता कोष और सशक्त कार्रवाई समूह से संबंधित मामले ।
21. परिवार कल्याण के सभी पहलुओं की बाबत, जिसके अंतर्गत विदेश में उच्चतर प्रशिक्षण भी है, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान का संगठन और निदेशन ।
22. परिवार नियोजन के लिए सहायक सामग्री का उत्पादन और प्रदाय ।
23. परिवार कल्याण से संबंधित मामलों की बाबत विदेशी राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ संपर्क ।
24. विदेशी सहायता से चलाई जाने वाली परिवार कल्याण स्कीमों और परियोजनाएं ।
25. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई ।
26. जनसंख्या और परिवार कल्याण से संबंधित और श्रव्य दृश्य सहायता का निर्माण विस्तारण शिक्षा और जानकारी का विकास और उत्पादन ।
27. परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए लोक निजी भागीदारी का संवर्धन ।
28. निम्नलिखित संस्थाओं से संबंधित सभी मामले :-
- (क) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम ।
- (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली ।
29. गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) - गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 का 34) का कार्यान्वयन
- ख. आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग

I. संघ कारबार

1. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति के विकास और प्रचार के लिए नीति और नीतिगत मुद्दे बनाना ।
2. कार्यक्रमों का विकास और क्रियान्वयन, जिसके अंतर्गत आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति के विकास और प्रचार के लिए केन्द्रीय स्कीमें और केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें भी हैं ।
3. अनुसंधान और विकास का समन्वय और संवर्धन, जिसके अंतर्गत आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति के लिए सहायता भी है ।
4. आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति से संबंधित अनुसंधान और विकास, शिक्षा और मानकों के लिए केन्द्रीय संस्थाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना।
5. निम्नलिखित के संबंध में सभी मुद्दे और विषय, जिनकी बाबत सरकार के स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है:

- (क) भारतीय औषधि भेषज प्रयोगशाला, गाजियाबाद;
- (ख) होम्योपैथिक भेषज प्रयोगशाला, गाजियाबाद;
- (ग) भारतीय औषध केन्द्रीय परिषद्;
- (घ) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्;
- (ङ.) आयुर्वेदिक भेषज समिति;
- (च) होम्योपैथी भेषज समिति;
- (छ) यूनानी भेषज समिति;
- (ज) सिद्ध भेषज समिति;
- (झ) आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड;
- (ञ) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद्;
- (ट) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्;
- (ठ) केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद्;
- (ड) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्;
- (ढ) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान;
- (ण) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान;
- (त) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान;
- (थ) राष्ट्रीय योग संस्थान;
- (द) राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान;
- (ध) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान;

- (न) स्नातकोत्तर अध्यापन और अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय;
 (प) इंडियन मेडिसन एंड फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड;
 (फ) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ।

6. भारतीय चिकित्सा पद्धति के सभी पहलुओं में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान, जिसके अंतर्गत विदेश में उच्चतर प्रशिक्षण भी है ।

7. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम के भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के डाक्टरों, जिसके अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के केन्द्रीय चिकित्सालयों के डाक्टर भी हैं, के संबंध में काडर निर्माण और नियंत्रण के मामले, जिसके अंतर्गत भर्ती नियम बनाने और उनमें संशोधन, भर्ती, प्रोन्नति और सभी अन्य सेवा मामले भी हैं, जिनकी बाबत सरकारी स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है ।

8. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी से संबंधित मामलों की बाबत विदेशी राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संपर्क ।

9. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी से संबंधित वैज्ञानिक सोसाइटियों/संगमों और पूर्ण तथा धार्मिक विन्यासों से संबंधित मामले ।

10. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी में औषध की क्वालिटी और मानकों से संबंधित ऐसे मामलों की बाबत उस सीमा तक जिनमें ऐसे मामलों में सरकारी स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है ।

11. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के कार्य और कार्यक्रमों के पुनर्विलोकन के लिए राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं से परामर्श और समन्वय करना ।

12. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के विभिन्न पहलुओं से संबंधित आंकड़े ।

13. संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित ऐसे प्रस्ताव और मामले जिनमें भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के बारे में भारत सरकार की मंजूरी और सहमति अपेक्षित है ।

14. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी से संबंधित प्रत्येक राज्य के विधायी प्रस्ताव जिनकी बाबत भारत सरकार की मंजूरी और सहमति अपेक्षित है ।

15. औषधीय पादप बोर्ड ।

(iii) "अंतरिक्ष विभाग" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 14 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात:-

"15. सेमी-कंडक्टर काम्प्लैक्स लिमिटेड (एस0सी0एल0), मोहाली से संबंधित सभी मामले ।"

आ०प०जै० अब्दुल कलाम
राष्ट्रपति

686 GZ/05-3

[फा. सं. 1/22/1/2005-कैब.]
के० एल० शर्मा, उप सचिव

CABINET SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st March, 2005

S.O. 277(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and seventy - ninth Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-

(1) in the First Schedule, for the heading "15. Ministry of Health and Family Welfare (Swasthya aur Parivar Kalyan Mantralaya)" and sub-headings relating thereto, the following heading and sub-headings shall be substituted, namely:-

"Ministry of Health and Family Welfare (Swasthya aur Parivar Kalyan Mantralaya)

(i) Department of Health and Family Welfare (Swasthya aur Parivar Kalyan Vibhag)

(ii) Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) (Ayurveda, Yoga aur Prakratik Chikitsa, Unani, Siddha aur Homoeopathy (AYUSH) Vibhag);

(2) in the Second Schedule,-

(i) under the heading "MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SANCHAR AUR SOOCHANA PRAUDYOGIKI MANTRALAYA)", under the sub-heading "C. DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY (SOOCHANA PRAUDYOGIKI VIBHAG)", for entry 6, the following entry shall be substituted, namely:-

"6. Matters relating to promotion and manufacturing of Semiconductor Devices in the country excluding all matters relating to Semiconductor

Complex Limited (SCL), Mohali; The Semiconductor Integrated Circuits layout Design Act, 2000 (37 of 2000).”;

- (ii) for the heading “MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SWASTHYA AUR PARIVAR KALYAN MANTRALAYA)” and sub-headings and the entries relating thereto, the following heading, sub-headings and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

**“MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(SWASTHYA AUR PARIVAR KALYAN
MANTRALAYA)**

**A. DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY
WELFARE
(SWASTHYA AUR PARIVAR KALYAN VIBHAG)**

I. UNION BUSINESS

1. Union agencies and institutes for research or for the promotion of special studies in medicine and nutrition including all matters relating to -
 - (a) Central Research Institute;
 - (b) All India Institute of Hygiene and Public Health;
 - (c) National Institute of Communicable Diseases;
 - (d) Central Drugs Laboratory;
 - (e) Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing;
 - (f) Lady Reading Health School;
 - (g) Central Institute of Psychiatry;
 - (h) Dr.Ram Manohar Lohia Hospital and Nursing Home;
 - (i) Safdarjang Hospital;
 - (j) Medical Stores Organisation;
 - (k) B.C.G. Vaccine Laboratory;

- (l) Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research;
 - (m) Smt. Sucheta Kirpalani Medical College and Hospital and Kalawati Saran Children's Hospital;
 - (n) Central Government Health Scheme (CGHS);
 - (o) Central Health Service;
 - (p) Serologist and Chemical Examiner to the Government of India.
2. All matters relating to the following Institutions-
- (a) Central Food Laboratory.
 - (b) Central Food and Standardisation Laboratory.
 - (c) Central Indian Pharmacopoeia Laboratory.
 - (d) All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation.
 - (e) National Tuberculosis Institute.
 - (f) Central Leprosy Teaching and Research Institute.
 - (g) Regional Leprosy Training and Research Centre, Raipur (Uttar Pradesh), Aska (Orissa), Gauripur (West Bengal), Teetulumari (Bihar).
 - (h) Port Quarantine (sea and air) seamen's and marine hospitals and hospitals connected with port quarantine.
 - (i) Port and Air Port Health Organisations.
 - (j) Medical Examination of seamen.
 - (k) International Health Regulations.
 - (l) World Health Organisation (WHO).
3. Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) and the Central Food Laboratory set up thereunder.
4. Higher training abroad in medical and allied subjects.

5. Coordination of work in respect of International Conferences in India and abroad in medical and related fields.
6. Health Programmes relating to-
 - (a) International aid for Health Programmes.
 - (b) National Programme for Control of Blindness.
 - (c) National Leprosy Eradication Programme.
 - (d) National Tuberculosis Control Programme.
 - (e) National Malaria Eradication Programme.
 - (f) All National Programmes relating to control and eradication of communicable diseases.
 - (g) Bilateral Cultural Exchange Programmes relating to control and eradication of communicable diseases.
7. Fellowships-for training in India and abroad in various medical and health subjects.
8. Matters relating to epidemics - Problems connected with supply of medicines, effects of malnutrition and shortage of drinking water leading to various diseases as a result of natural calamities.

II. LIST OF BUSINESS FOR LEGISLATIVE AND EXECUTIVE PURPOSES IN RESPECT OF UNION TERRITORIES.

9. Public Health hospitals and dispensaries.
10. Scientific societies and associations pertaining to subjects dealt with in the Department.
11. Charitable and religious endowments pertaining to subjects dealt with in the Department.

III. LIST OF BUSINESS WITH WHICH THE CENTRAL GOVERNMENT DEAL IN A LEGISLATIVE CAPACITY ONLY FOR THE UNION AND IN BOTH LEGISLATIVE AND EXECUTIVE CAPACITIES FOR ALL UNION TERRITORIES.

12. All Matters relating to-
 - (a) The Medical profession and medical education.

686 GF/05-4

- (b) The nursing profession and nursing education.
- (c) Pharmacists and Pharmacy education.
- (d) The dental profession and dental education.
- (e) Mental Health.
- (f) Drugs Standards.
- (g) Advertisements relating to drugs and medicines.
- (h) Prevention of the extension from one State to another of infectious or contagious diseases affecting human beings.
- (i) Prevention of adulteration of foodstuffs and drugs.

IV. MISCELLANEOUS BUSINESS

13. All Matters relating to-

- (a) The Medical Council of India.
- (b) The Central Councils of Health and Family Welfare.
- (c) Dental Council of India.
- (d) Indian Nursing Council.
- (e) Pharmacy Council of India
- (f) Indian Pharmacopoeia Committee.

14. Concession of medical attendance and treatment for Central Government servants other than (i) those in Railway Service (ii) those paid from Defence Service Estimates (iii) officers governed by the All India Services (Medical Attendance) Rules, 1954 and (iv) officers governed by the Medical Attendance Rules, 1956.

15. Medical Examination and Medical Boards for Central Civil Services [other than those controlled by the Department of Railways and those paid from Defence Services Estimates excepting Civilian Services.].

16. All Matters relating to-

- (a) Grants to Vallabhbhai Patel Chest Institute (under Delhi university).

- (b) Grants to Indian Red Cross Society.
- (c) Spas and Health resorts.
- (d) The Indian Council of Medical Research.
- (e) National Board of Examination.
- (f) Chittaranjan National Cancer Research Centre.
- (g) All India Institute of Medical Sciences.
- (h) Medical and Bio-medical research.
- (i) All India Institute of Speech and Hearing.
- (j) Pasteur Institute of India.
- (k) Physiotherapy Training Centre, King Edward Memorial Hospital.
- (l) National Institute of Mental Health and Neuro Sciences.
- (m) Hospital Services Consultancy Corporation Limited.

V. FAMILY WELFARE MATTERS

17. Policy and organisation for Family Welfare.
18. All matters relating to:-
 - (a) National Rural Health Mission.
 - (b) National Commission on Population.
 - (c) Reproductive and Child Health.
19. Inter-sectoral coordination in accordance with the National Population Policy.
20. Matters related to Janasankhya Sthiarta Kosh and Empowered Action Group.
21. Organisation and direction of education, training and research in all aspects of family welfare including higher training abroad.
22. Production and supply of aids to Family Planning.

686 91/05-5

23. Liaison with foreign countries and international bodies as regards matters relating to family welfare.
24. Family Welfare Schemes and projects with external assistance.
25. International Institute of Population Sciences, Mumbai.
26. Development and production of audiovisual aids, extensional education and information in relation to population and family welfare.
27. Promoting Public Private Partnership for the Family Welfare Programme.
28. All Matters relating to following Institutions:-
 - (a) Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram.
 - (b) National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi.
29. Implementation of Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994) – Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (34 of 1971).

B. DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (AYURVEDA, YOGA AUR PRAKRATIK CHIKITSA, UNANI, SIDDHA AUR HOMOEOPATHY (AYUSH) VIBHAG)

I. UNION BUSINESS

1. Formulation of policy and policy issues for development and propagation of Ayurveda, Siddha, Unani, Homoeopathy, Yoga and Naturopathy systems.
2. Development and implementation of programmes including Central schemes and Centrally sponsored schemes for development and propagation of Ayurveda, Siddha, Unani, Homoeopathy, Yoga and Naturopathy systems.
3. Co-ordination and promotion of research and development including assistance therefor in Ayurveda, Siddha, Unani, Homoeopathy, Yoga and Naturopathy systems.
4. Setting up and maintenance of Central institutions for research and development, education and standards relating to Ayurveda, Siddha, Unani, Homoeopathy, Yoga and Naturopathy systems.

5. All issues and matters requiring action at the level of Government in regard to-

- (a) Pharmacopoeial Laboratory for Indian Medicine, Ghaziabad;
- (b) Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad;
- (c) Central Council of Indian Medicines;
- (d) Central Council of Homoeopathy;
- (e) Ayurvedic Pharmacopoeia Committee;
- (f) Homoeopathic Pharmacopoeia Committee;
- (g) Unani Pharmacopoeia Committee;
- (h) Siddha Pharmacopoeia Committee;
- (i) Ayurvedic, Siddha and Unani Drugs Technical Advisory Board;
- (j) Central Council for Research in Ayurveda and Siddha;
- (k) Central Council for Research in Homoeopathy;
- (l) Central Council for Research in Unani Medicine;
- (m) Central Council for Research in Yoga and Naturopathy;
- (n) National Institute of Ayurveda;
- (o) National Institute of Homoeopathy;
- (p) National Institute of Naturopathy;
- (q) National Institute of Yoga;
- (r) National Institute of Unani Medicine;
- (s) National Institute of Siddha;
- (t) Institute of Post-Graduate Teaching and Research, Gujarat Ayurveda University;
- (u) Indian Medicines and Pharmaceuticals Corporation Limited;

(v) **Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth.**

6. Education, Training and Research in all aspects of Indian Systems of Medicine including higher training abroad.

7. Matters of cadre formation and control including formation and amendment of recruitment rules, recruitment, promotion and all other service matters relating to Indian Systems of Medicine and Homoeopathy doctors of Central Government Health Scheme including doctors in Indian Systems of Medicine and Homoeopathy central hospitals requiring action at Government level.

Note:- Day-to-day administration and management will continue to be with the Director, Central Government Health Scheme.

8. Liaison with foreign countries and international bodies as regards matters relating to Indian Systems of Medicine and Homoeopathy.

9. Matters relating to scientific societies/associations and charitable and religious endowments relating to Indian Systems of Medicine and Homoeopathy.

10. Matters relating to quality and standards for drugs in Indian Systems of Medicine and Homoeopathy to the extent such matters require action at the level of Government.

11. Consultation and coordination with State Governments, Non-Government Organisations and institutions for review of work and programmes in Indian Systems of Medicine and Homoeopathy.

12. Statistics relating to various aspects of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy.

13. Proposals and matters concerning Union Territories requiring sanction and concurrence of Government of India in regard to Indian Systems of Medicine and Homoeopathy.

14. Legislative proposals pertaining to Indian Systems of Medicine and Homoeopathy of individual states requiring sanction and concurrence of Government of India.

15. Medicinal Plant Board.

(iii) **under the heading "DEPARTMENT OF SPACE (ANTARIKSH VIBHAG)", after entry 14, the following entry shall be added, namely:-**

"15. All matters relating to the Semiconductor Complex Limited (SCL), Mohali."

A.P.J. ABDUL KALAM
President

[F.No. 1/22/1/2005-Cab.]

K. L. SHARMA, Dy. Secy.